न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–151/16

1. श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री स्व. श्री मोहन लाल पत्नी श्री मदन, जाति गुर्जर निवासी ग्राम चिरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. मेवाराम पुत्र श्री भौंरीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मनोहरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती चन्दा पुत्री स्व. श्री मोहन लाल पत्नी स्व. श्री जीवण, जाति गुर्जर, निवासी भापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 21/11/17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर के आदेश दिनांक 08.01.2016 (प्रकरण संख्या 25/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पिता सगे भाई थे तथा विक्रय पत्र दिनांक 30.08.1991 प्रार्थी के नाम से निष्पादित करवाया जिस बाबत प्रार्थी की सहमति होने से उक्त भूमि मे हिस्सा 1/2–1/2 का अंकन किया गया जो सही है, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रह है ऐसी स्थिति में हिस्सा 1/2 के कब्जे का अनुतोष के अभाव में केवल मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है, भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी को केवल लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि जिसमें पक्षकार सहमत हो को ही दुरूस्त करने का अधिकार है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षो की बहस सुनते हुए मनमाने एवं विधि विरूद्ध उक्त प्रकरण मे अन्तिम निर्णय दिनांक 08.01.2016 को पारित कर दिया जिसमें क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया गया है, उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.03.2016 को अपने वकील साहब सम्पर्क कर प्रकरण में हो रही कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही, तो वकील साहब ने अपीलान्ट को बताया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 08.01.2016 के आपके विरूद्ध फैसला हो चुका है जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन नकल हेतु दिनांक 29.03.2016 को आवेदन किया जिसकी नकल तैयार होकर अपीलान्ट को दिनांक 01.04.16 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त नकल प्राप्त कर अपने वकील साहब से कानूनी सलाह मशवराह कर फीस आदि का इन्तजाम कर जानकारी दिनांक

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबुझकर नही होकर अज्ञानतावश रही है जिसको माफ किया जाना आवश्यक है जिसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नही किया कि उक्त मामला भू राजस्व अधिनियम के धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही बनता है, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो, उक्त प्रकरण इसके विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में अंकित किया है यानि एक रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नही आती है और ना ही रिकार्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निणर्य विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 25/2011 बउनवानी मेवाराम बनाम श्रीमती चन्दा वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2016 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता स्व. मोहनलाल सगे भाई थे जिसमे मोहनलाल का देहान्त हो चुका है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उसके वारिसान है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये विक्रय पत्र साबिक आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 11 बिस्वा चाही पक्की वाके ग्राम मनोहरियावाला तहसील सांगानेर को दिनांक 30.08.1991 को क्रय किया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 28.01.1992 को स्वीकार हो चुका है तथा जिसका अंकन मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2061 में व जमाबन्दी आधार वर्ष 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में अंकित हो चुकी है तथा साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.15 हैक्टयर बना है, उन्होने कथन किया है कि दौराने सेटलमेन्ट उक्त खसरा नम्बर के बने हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता स्व. मोहनलाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया जो गलत है, जो कानून के विपरित होने से खारिज योग्य था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि हाल खसरा नम्बर 274 रकबा 0.10 हैक्टयर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का 1/2–1/2 राजस्व रिकार्ड में अंकित है,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

इस कारण भू–प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 274 रकबा 0.10 हैक्टयर के साथ–साथ हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.15 हैक्टयर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता का नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अकेले की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार दौराने सैटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया गये है जो काबिले खारिज था तथा उक्त त्रुटि दौराने भू–प्रबन्ध हुई है जिसको दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर एवं तहसीलदार सांगानेर से जवाब तलब कर व प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.16 पारित किया गया है जिसमें कानूनी गलती नही की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब दिनांक 02.06.15 के अनुसार आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1991 को क्रय करना एवं उसका नामान्तररण संख्या 18 दिनांक 28.01.92 को स्वीकार हुआ है जिसका अमल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2051 में दर्ज है तथा लिपिकीय त्रुटि से इन्द्राज गलत दर्ज हो गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2016 से दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाहीयों हुई लिपिकीय त्रुटियों/गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने बाबत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय, सांगानेर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2016 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21/11/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।